



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-9/6
18/12/2023

-:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सीमा अवरथी	शोलेश अवरथी	120	200.00	हसनपुरा-ए	महावीर नगर	लीजडीड	मृत्यु प्रमाण-पत्र, रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, लीजडीड, साईट प्लान, इत्यादि।

जनसम्पर्क अधिकारी,

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) / 2023 / डी- 2272
दिनांक 18.12.2023

उपायुक्त
जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 2125

दिनांक 19/12/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती बीना पत्नी श्री नारायण दास चौहान	श्री रामविलास शर्मा पुत्र श्री प्रभूदयाल शर्मा	225 (पश्चिमी भाग)	289.00 व.ग.	गुलाबी	मोती नगर	फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर
2	श्रीमती मंजूलता पत्नी श्री त्रिभुवन सिंह		225 (पूर्वी भाग)					
3	श्री प्रभूदयाल कुमावत	श्री प्रभूदयाल कुमावत	25	127.30 व.ग.	मदरामपुरा	श्री ओम वाटिका- प्रथम		आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं रसीद
4	श्रीमती भंवरी देवी	श्रीमती भंवरी देवी	24	167.75 व.ग.				

उपायुक्त, जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 2125

दिनांक 19/12/23

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।


क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्री पंकज मलिक पुत्र श्री तिलक राज कक्कड़ एवं श्री तिलक राज पुत्र श्री रामलाल	श्री पंकज मलिक पुत्र श्री तिलक राज कक्कड़ एवं श्री तिलक राज पुत्र श्री रामलाल	पुर्नगठित भू.सं. बी-122, बी-123	आवासीय	विद्युत नगर- बी (नवजीवन गृ.नि.स.स.)	711.1 व. ग.	व्यावसायिक	व्यावसायिक

उपायुक्त जोन-7
उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि. उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-127

दिनांक : 18/12/23

लोक सूचना

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित खातेदार जेकेडी डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री रितेश अग्रवाल पुत्र श्री जुगल किशोर गर्ग, श्री जुगल किशोर गर्ग पुत्र श्री इन्दर लाल गर्ग पता 08ए, गोविन्दी हाउस, कानोता बाग, तख्तेशाही रोड, जेएलएन मार्ग, जयपुर द्वारा आवासीय में भूमि की 90-क दिनांक 31.10.2022 व 01.11.2022 को वेयर हाउस प्रयोजनार्थ किया जा चुका है। अब आवेदक द्वारा नवीन खसरा सम्मिलित करते हुये आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित 90ए की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

ग्राम/तहसील का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	स्वामित्व
ग्राम रामपुरा बास देवलिया तह. सांगानेर	201	0.13	जेकेडी डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री रितेश अग्रवाल पुत्र श्री जुगल किशोर गर्ग, श्री जुगल किशोर गर्ग पुत्र श्री इन्दर लाल गर्ग पता 08ए, गोविन्दी हाउस, कानोता बाग, तख्तेशाही रोड, जेएलएन मार्ग, जयपुर वर्तमान स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
	202	0.18	
	203	0.22	
	204	0.20	
	388/205	0.1040	
	200/1	0.73	
	200/2	0.21	
	206	0.02	
	216	0.46	
	217	0.48	
	223, 224	0.6723	
	225	0.27	
	227	0.30	
	228	0.28	
	229	0.30	
	230	0.36	
	231	0.35	
232	0.33		
233	0.27		
234	0.32		
229/315	0.27		
236	0.58		
223/337	0.16		
ग्राम हरचन्दपुरा बास देवलिया तह. सांगानेर	177	0.02	छीतर पुत्र घासी हि. 1/5 जाति बलाई सा.देह, लालचन्द पुत्र छीतर हि. 4/5 जाति बलाई सा.देह, लालचन्द पुत्र छीतर जाति बलाई सा. देह, छीतर पुत्र घीसा जाति बलाई सा.देह वर्तमान स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
	178	0.88	
	196	0.34	
	197	0.40	
	198	0.50	
203/1	0.30		
ग्राम हरचन्दपुरा बास देवलिया तह. सांगानेर	215/3	0.2183	जेकेडी डवलपर्स पंजीकृत कार्यालय 08ए, गोविन्दी हाउस, कानोता बाग, तख्तेशाही रोड, जेएलएन मार्ग, जयपुर
	212/1	0.1557	
	213	0.0366	
	395/249	0.01	
423/212	0.016		
कुल कित्ता	35	10.0739 हेक्ट.	

अतः उक्त भूमि का वेयर हाउस के स्थान पर आवासीय योजना में अनुमोदन किये जाने के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था/हितधारक को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करावे अन्यथा नियत अवधि पश्चात नियमानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना भेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555
e-mail:

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103108

दिनांक: 19/12/2023

लोक सूचना

श्रीमति KALLI DEVI पत्नी श्री RAMSWAROOP MEENA जाति MEENA निवासी JAISINGHPURA BAAS , JEEROTA, VIDHANI, JAIPUR


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	KALLI DEVI W/O RAMSWAROOP MEENA	223	2100	0.21
2.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	KALLI DEVI W/O RAMSWAROOP MEENA	224	2700	0.27
3.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	KALLI DEVI W/O RAMSWAROOP MEENA	225	900	0.09
4.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	KALLI DEVI W/O RAMSWAROOP MEENA	234	400	0.04
5.	सालगरामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	KALLI DEVI W/O RAMSWAROOP MEENA	235	2500	0.25
कुल					0.86

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19-12-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2023/डी-3124

दिनांक : 19/12/23

लोक सूचना

श्री मोहन लाल बजाज पुत्र श्री देवी सहायक बजाज एवं श्री रमेश चन्द बजाज पुत्र श्री मोहन लला बजाज निवासी-सैनी धर्म काटे के पास, रिंगस रोड़, चौमू ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ लीजडीड जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (व.मी.)	वर्तमान स्वामित्व	धारा 90ए की कार्यवाही दिनांक
तहसील-चौमू (जयपुर)	ग्राम-चौमू	2839	0.1000	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	16.09.2022 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
		2840	0.0600		
		किता-2	कुल रकबा 0.1600 हेक्टे.		

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किए जाने पर आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19/12/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक (जनसम्पर्क) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर